Digital Personal Data Protection Bill, 2023

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move:

?That the Bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.?

14.06½hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Sushri Mahua Moitra and some

other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

सभापति महोदय, भारत के 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 सदन के सम्मुख प्रस्तुत है ।?(व्यवधान)

सभापति जी, आज सारे विश्व में भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की चर्चा है, इसकी प्रशंसा है और दुनिया के कई देश इस प्रोग्राम को अपने-अपने देश में लागू करना चाहते हैं ।?(व्यवधान) चाहे पेमेन्ट सिस्टम हो, आधार हो, डिजी लॉकर हो, इन सब व्यवस्थाओं को, जिससे कि एक साधारण नागरिक को भी, एक साधारण से साधारण मानवी को भी अच्छी और सुचारू तरीके से डिजिटल सर्विसेज मिले, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है ।?(व्यवधान) आज करीब-करीब 90 करोड़ भारतवासी इंटरनेट से जुड़ चुके हैं ।?(व्यवधान) 4G, 5G और भारतनेट के जरिए से हाईवे से लेकर छोटे से छोटा गांव भी जुड़ रहा है ।?(व्यवधान) ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा और प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए यह बिल लाया गया है ।?(व्यवधान)

मान्यवर सभापति जी, पिछले कई वर्षों में अनेक फोरम में, जैसे स्टैण्डिंग कमेटी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, इन सब में इस विषय पर कई-कई घंटों तक चर्चा हुई है ।?(व्यवधान) इन चर्चाओं के बाद सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज यह बिल आपके जरिए सदन के सामने पेश किया गया है ।?(व्यवधान)

सभापति जी, इस बिल में 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है ।?(व्यवधान) यह बहुत अच्छा होता, अगर विपक्ष इस पर अच्छी चर्चा करता, लेकिन विपक्ष के किसी भी सदस्य को, किसी भी नेता को नागरिकों के अधिकारों के बारे में कोई चिंता नहीं है, इसलिए ये केवल नारे लगाने में लगे हैं, इनको चर्चा में कोई रुचि नहीं है, इनको किसी विषय में कोई सारांश लाने की जरूरत नहीं है ।?(व्यवधान)

सभापति जी, इस बिल को लाने से पहले बहुत एक्सटेन्सिव पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है ।?(व्यवधान) कानून के ड्राफ्ट पर करीब-करीब 48 ऑर्गेनाइजेशन्स और 39 मंत्रालयों ने डिटेल्ड डिस्कशन किया है ।?(व्यवधान) करीब-करीब 24,000 कंसल्टेशन्स आए हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं इस बिल के मेन एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखूंगा ।?(व्यवधान) इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल की भाषा एकदम सरल रखी गयी है, जिससे सामान्य मानवी भी इस बिल को समझ सके ।?(व्यवधान)

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है ।?(व्यवधान) इस बिल में ?He? की जगह ?She? का व्यवहार किया गया है, ?His? की जगह ?Her? का व्यवहार किया गया है ।?(व्यवधान)

सभापति जी, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के बहुत सारे एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं ।?(व्यवधान) उन सारे प्रिंसिपल्स का इस बिल में अच्छी तरह से समागम किया गया है ।?(व्यवधान)

सबसे पहला प्रिंसिपल है - ?Principle of Legality? यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का डेटा अगर कोई संस्था, प्लेटफॉर्म या एप्प से लिया जाता है, तो वह कानून के आधार पर ही लिया जाए ।?(व्यवधान)

दूसरा प्रिंसिपल है - ?Principle of Purpose Limitation? यानी जिस उद्देश्य के लिए लिया जाए, उसी उद्देश्य के लिए उसका व्यवहार हो ।?(व्यवधान)

तीसरा प्रिंसिपल है - ?Principle of Data Minimisation?, अगर किसी उद्देश्य के लिए जितना डेटा चाहिए, उतना ही डेटा लिया जाए, उससे ज्यादा डेटा क्यों लिया जाए ।?(व्यवधान)

चौथा प्रिंसिपल है - ?Principle of Accuracy?, अगर किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल डेटा चेंज होता है तो प्लेटफॉर्म्स भी उस चेंज को रेफ्लेक्ट करे, उसे एक्यूरेट लाए । नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है ।?(व्यवधान)

सर, 5वां प्रिंसिपल स्टोरेज लिमिटेशन का है । ?(व्यवधान) जितने समय के लिए डाटा को रखना चाहिए, उस समय से बाहर न रखा जाए, उसके लिए स्टोरेज लिमिटेशन का प्रिंसिपल इसमें रखा गया है । फिर रीज़नेबल सेफगार्ड्स का प्रिंसिपल है । ?(व्यवधान) कोई भी डाटा, बहुत ही वैल्युएबल डाटा है, उस डाटा को किस तरह से सेफगार्ड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसका ऑब्लिगेशन संस्थाओं पर रखा गया है । ?(व्यवधान) 7वां है ? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो भी आपसे डाटा ले, किसी नागरिक से डाटा ले, वह जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो, यह व्यवस्था इस बिल में की गई है । ?(व्यवधान)

सभापति महोदय, भारत विविधताओं का देश है । ?(व्यवधान) बहुत सुंदर-सुंदर भाषाएं देश में बोली जाती हैं । ?(व्यवधान) इसीलिए इस बिल में प्रावधान किया गया है कि संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, उन पूरी की पूरी 22 भाषाओं में नोटिस दिया जाएगा । ?(व्यवधान) उड़िया में भी, भोजपुरी में भी, मैथिली में भी, गुजराती में भी, तमिल मे भी, मलयालम में भी, हरेक भाषा में, 22 भाषाओं में नोटिस होगा, 22 भाषाओं में कंसेंट होगा । ?(व्यवधान)

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन इस बिल में रहा है कि जो बड़े शहरों में रहते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन इस बिल में ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे कि दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति भी वही सुविधाएं पाए जो कि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को होती है । ?(व्यवधान) इसीलिए इस बिल का पूरा इम्प्लिमेंटेशन डिजिटल-बाय-डिज़ाइन रखा गया है ताकि गांव में रहने वाला एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी एकदम आसानी से न्याय पा सके और सारी सुविधाएं उसे भी मिलें । ?(व्यवधान)

सभापति जी, कुछ लीगल इनोवेशन भी किए गए हैं । वॉलेंटरी इनोवेशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट, वॉलेंटरी अण्डरटेकिंग और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन किए गए हैं ।?(व्यवधान) अगर किसी संस्था से कोई भूल हो जाए तो भूल होने में कोर्ट के चक्कर लगें, इसकी बजाय संस्था डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास आए कि यह

गलती हो गई, यह सुधार किया और यह पेनल्टी है । यह बहुत ही अच्छी और फंडामेंटल व्यवस्था इस बिल में की गई है । ?(व्यवधान)

सभापति महोदय, जब बिल का इंट्रोडक्शन हो रहा था, तब विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कुछ विषय उठाए थे, उसके बारे में मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा । ?(व्यवधान) सबसे पहला विषय उठाया था कि सरकार को बहुत सारी छूट दी गई है । ?(व्यवधान) सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह बात रखना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई नैचुरल डिज़ास्टर होता है, अर्थक्वेक या साइक्लोन है, क्या उस वक्त डाटा फॉर्म, कंसेंट नोटिस, आदि उसका ध्यान रखना चाहिए या फिर सबसे पहले नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए या पुलिस अगर किसी जगह पर किसी क्रिमिनल को, ऑफेंडर को पकड़ने जा रही है तो उस वक्त लेखा-लेखी फॉर्म होगा या फिर कार्रवाई होगी? सभपति जी, जो यूरोप का जीडीपीआर है, उसमें 16 एग्ज़म्पशंस दिए गए हैं और अपने इस बिल में मात्र 4 एग्ज़म्पशंस दिए गए हैं । ?(व्यवधान) इसलिए किसी भी तरीके से अपना बिल विश्व के सारे मानकों पर बहुत अच्छी तरह से खरा उतरता है । ?(व्यवधान)

सभापति जी, एक आरोप यह लगाया गया कि आरटीआई को डायल्यूट कर रहे हैं । ?(व्यवधान) सर, जब पुट्टास्वामी जजमेंट आया, यह है पुट्टास्वामी का जजमेंट, जो कि बहुत भारी भरकम जजमेंट है । ?(व्यवधान) इस जजमेंट में जो 3 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उन तीनों को इस बिल में इनक्लूड किया गया है । ?(व्यवधान) पुट्टास्वामी केस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस पर बिल एकदम खरा उतरता है ।?(व्यवधान) इसलिए आरटीआई और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के इस बिल के बीच में जो हार्मोनाइज़ करना था, वह हार्मोनाइज़ेशन किया गया है । ?(व्यवधान)

सभापति जी, आज भारत की आईटी इंडस्ट्री में करीब 55 लाख लोग काम करते हैं । ?(व्यवधान) उनमें से 18 लाख हमारी बहनें काम करती हैं । ?(व्यवधान) देश में युवा, नौजवान एक नई प्रगति की तरफ जाना चाहते हैं । ?(व्यवधान) इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति की तरफ किसी का ध्यान नहीं है । ?(व्यवधान) लोग आगे बढ़ना चाहते हैं । ?(व्यवधान) इस तरह की नकारात्मक राजनीति लोगों को स्वीकार्य नहीं है । ?(व्यवधान) आज 140 करोड़ देशवासियों के अधिकार के लिए यह बिल लाया गया है, जिसमें रोड़े अटकाने वाले ये लोग हैं । ?(व्यवधान) हो सकता है कि अगली बार उनको यह मौका भी जनता न दे । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करता हूँ कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति (Shri Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki)) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि डिजिटल वैयक्तिक डाटा का, ऐसी रीति में प्रकमण करने, जो व्यष्टिकों के उनके वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करने के अधिकार और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण, दोनों की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यह महत्वपूर्ण बिल है, डेटा प्रोटेक्शन का बिल है ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप अपने-अपने स्थान पर जाकर इस बिल की चर्चा में शामिल हों ।

श्री पी.पी. चौधरी जी ।

?(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूं ।?(व्यवधान)

महोदय, यह जो बिल है, आज आप पूरे देश और विश्व में देखिए कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया का यूज है ।?(व्यवधान) जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था पर सोशल इंटरएक्शन है और जिस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उस हिसाब से डेटा का प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी हो जाता है ।?(व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक इसकी अप्लिजकैबिलिटी और उपयोग है, यह बिल वहां अप्लाई होगा, जहां पर डेटा प्रोसेसिंग हो, जहां पर पर्सनल डेटा प्रोसेस हो ।?(व्यवधान) यदि वह इंडिया में है तो चाहे वह कलेक्टेड ऑनलाइन हो और चाहे कलेक्टेड ऑफलाइन हो, अगर वह बाद में ऑनलाइन डिजिटाइज हो जाता है तो यह अप्लाई होगा ।?(व्यवधान) जहां तक आउटसाइड इंडिया की बात है, अगर यह किसी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज की ऑफर इंडिया में की जाती है, तो भी अप्लाई होगा ।?(व्यवधान) अगर हम प्रोसेसिंग को देखें तो इसकी परिभाषा बहुत ही विस्तार में दी गई है ।?(व्यवधान) अगर हम पर्सनल डेटा की बात करें तो जिस हिसाब से पर्सनल डेटा को डिफाइन किया गया है, उसमें यह साफ लिखा गया है कि उसका फोन

नंबर और नाम भी रहेगा । अगर उससे व्यक्ति आइडेंटिफाई होता है तो वह पसनल डेटा माना जाएगा ।?(व्यवधान) उसका जो ऑटोमेटेड ऑपरेशन है, वह प्रोसेसिंग में माना जाएगा ।?(व्यवधान) अगर उसका किसी तरह से कलेक्शन व स्टोरेज किया जाता है, उसका यूज होता है और उसकी शेयरिंग होती है तो ये सारे के सारे प्रोसेसिंग में आते हैं ।?(व्यवधान) इसके लिए भी एक फंडामेंटल राइट है । पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राइवेसी है, वह एक फंडामेंट्ल राइट है ।?(व्यवधान)

महोदय, मुझे इस बात का दुख होता है कि जो विपक्ष है, ?(व्यवधान) यह इतना महत्वपूर्ण बिल है, जहां हमारे 114 करोड़ देशवासी सोशल मीडिया से इंटरकनेक्ट हैं, यह उनकी प्राइवेसी का हक है ।?(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है । हमारे विपक्ष के साथी शोरगुल करके चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं ।?(व्यवधान) ये लोग आम जनता के हकों के विरोध में काम कर रहे हैं ।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, जहां तक कंसेन्ट की बात है, इसका को फाउंडेशन बेसिस है, वह बहुत ही जरूरी है ।?(व्यवधान) उसके प्रोसेस के लिए और कंसेन्ट देने के बाद भी ऐसा डेटा प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वह लॉफुल पर्पज़ के लिए ही हो सकता है ।?(व्यवधान) ऐसा नहीं कि किसी ने कंसेन्ट दे दिया और बिना लॉफुल पर्पज़ के डेटा प्रोसेस हो जाए, इसलिए यह अनलॉफुल पर्पज़ के लिए नहीं हो सकता ।?(व्यवधान) उसके लिए जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत के संविधान में जो आठवां शेड्यूल है, उसके तहत नोटिस के लिए देना पड़ेगा और डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ।?(व्यवधान) उसके प्रोसेसिंग का जो पर्पज़ है, वह क्या है? अगर आपने कंसेन्ट दे दी तो ऐसा नहीं है कि वह कंसेन्ट हमेशा के लिए हो जाए ।?(व्यवधान) ऐसा नहीं है कि वह वन टाइम कंसेन्ट है और उसको विड्रॉ नहीं कर सकते ।?(व्यवधान) उसमें कंसेन्ट को विड्रॉ करने का भी प्रावधान है और यह पर्मिसेबल है ।?(व्यवधान) ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्टिपुलेट टाइम है और उस समय आप विड्रॉ कर सकते हैं । कंसेन्ट को किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं ।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, आज हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटिज हैं, सोशल इंटरएक्शन है ।?(व्यवधान) जिस हिसाब से आज सर्विसेज दी जा रही हैं, आप देखिए कि इसके लिए आधार का यूज हो रहा है । प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो व्यवस्था दी है, उसमें भी डेटा प्रोसेस होता है । वह एक सर्विस है ।?(व्यवधान) जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहां कंसेन्ट की जरुरत नहीं है ।?(व्यवधान) अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई और कोई अन्कॉन्शस

है तो उसमें कंसेन्ट की जरुरत नहीं है । इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है ।?(व्यवधान) अगर कोई काम उसके बेनिफिट के लिए है, सर्विस दी जा रही है और कोई बेनिफिट एक्सटेंड किया जा रहा है तो उसमें कंसेन्ट की जरुरत नहीं है ।?(व्यवधान) अगर कोई स्पेसिफाइड पर्पज़ है, उसने वॉलेन्टेरी डेटा दिया है, जैसे किसी मेडिकल शॉप को दिया तो उसका डेटा प्रोसेस करके नाम तथा मोबाइल नंबर आ जाएगा ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : काइंडली कंक्लूड ।

?(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी: सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं । ?(व्यवधान) यह बहुत इंपोर्टेंट है ।?(व्यवधान) इनको बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ।?(व्यवधान) ये सारे लोग तो खड़े होकर देश का अहित कर रहे हैं ।?(व्यवधान) आप देखिए, चाहे इंप्लायमेंट को लें?(व्यवधान) सारा का सारा डेटा प्रोसेस होता है ।?(व्यवधान) इसमें कंसेंट का एग्जम्पमशन भी है ।?(व्यवधान) इतना फाइन बैलेंस क्या है? ?(व्यवधान) कंसेंट की कहां जरूरत होगी और कंसेंट के एग्जम्पशन की कहां जरूरत होगी? ?(व्यवधान) यह सब कुछ इसमें है ।?(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you Sir. After Aadhaar has been linked to welfare policies, after Aadhaar has been linked to voter ID cards, after digitising death and birth certificates, after India becoming the leader in digital transactions, we come to the conclusion that data is a new oil and majority of data is produced in India. And once we come to this conclusion, definitely, we need this Bill? (Interruptions)

But I need a few clarifications from the hon. Minister? (Interruptions) There is some sort of ambiguity in a few clauses? (Interruptions) So, kindly give me two or three minutes?(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in two minutes.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Coming to Chapter I, Clause 2, there is no correct definition with regard to harm, storage etc.? (Interruptions) Unless we define harm, we cannot define the consequences of harm?(Interruptions) Unless we define the consequences, we cannot give the compensation?(Interruptions) So, I request the Minister to clarify on that?(Interruptions)

Under Chapter I, Clause 2, subsection (f), a child is defined as ?an individual who has not completed the age of 18?(Interruptions) But we are

giving permission to work to a person who is above 14 ?(Interruptions) If we give that permission to him, why can we not give this permission to him??(Interruptions) We are actually allowing persons to go and watch a movie with UG, PG certificates?(Interruptions) I need a clarification on this ?(Interruptions)

Chapter II, Clause 2 mentions about the consent from data fiduciaries for children of below 18?(Interruptions) There must be verifiable parental consent ?(Interruptions) You and everyone in this House knows that 40 per cent of the population of this country do not know how to move a file from one folder to the other folder?(Interruptions) In that situation, how do you expect that this is going to happen??(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in one minute.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Right to data portability or to be forgotten is not outlined in the Bill?(Interruptions) Take for example, someone participated in some political protest 20 years back and his photos had been in media?(Interruptions) Now, if his photos are still in the media, it hampers his growth?(Interruptions) So, I need a clarification on this? (Interruptions)

This Bill also allows the States to process personal data without the individual?s concern for purposes like providing benefits, services, licences etc.?(Interruptions) This will actually make the data to be used by the State Governments so that they can profile the voters as per their need? (Interruptions) It does not also define the methodology, compliance of data that has been erased?(Interruptions) It does not require data fiduciaries to maintain record of data breaches?(Interruptions) It does not specify a transition period for the Bill?s enactment?(Interruptions) It does not talk about data breach through hardware application?(Interruptions).

The amendment to the RTI Act prohibits the disclosure of personal information?(Interruptions) As a result, cases like that of Shrimati Pratibha Patil, former President and her utilisation of resources, which were previously revealed through RTI, would no longer be possible under the new amendment?(Interruptions)

With regard to the appointment of Data Protection Board, this is a good step. But the whole body is being selected through executive branch? (Interruptions) This would actually put the whole onus on the? (Interruptions)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आज एक रेवोल्यूशनरी कानून इस सदन में पास होने वाला है ।?(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in two minutes

?(Interruptions)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सर, अभी तो स्टार्ट किया है । हमारी सबसे बड़ी चिंता डेटा की सुरक्षा थी ।?(व्यवधान) आज हमारे देश में कोई भी डेडीकेटेड डेटा प्रोटक्शन बिल नहीं था ।?(व्यवधान) आज इस बिल के माध्यम से सबकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की गारंटी सरकार के माध्यम से ली जाएगी ।?(व्यवधान) आप सभी जानते हैं कि कंपनीज़ द्वारा हमारा डेटा इस्तेमाल किया जाता है ।?(व्यवधान) हमें रोज स्पैम कॉल्स के माध्यम से हमेशा कॉल्स आती हैं और मैसेजेज़ आते हैं ।?(व्यवधान) मुझे लगता है कि नये कानून के कारण एक अच्छी प्रणाली बनाई जाएगी, जिसमें डेटा कलेक्शन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक का पूरा ख्याल इस कानून के माध्यम से रखा जाएगा ।?(व्यवधान) हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं । लेकिन, आज तक हमारे पास इसका कोई कानून नहीं था ।?(व्यवधान) बाकी देशों में, यूरोपियन यूनियन में यह कानून वर्ष 2018 में बना ।?(व्यवधान)

जर्मनी में डाटा प्रोटेक्टशन एक्ट है । उसी के साथ फ्रांस में डिजिटल रिपब्लिक एक्ट है । मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि आज हम डाटा को न्यू ऑयल कहते हैं । हमारे जन्म के रिकार्ड्स से लेकर डेली एक्टिविटीज तक, जैसे हमारी स्मार्ट वॉच है, ऑनलाइन शॉपिंग हो या डाटा शेयरिंग हो । ?(व्यवधान) मुझे लगता है कि वहां पर डाटा शेयरिंग हो रहा है । चाहे किसी को बैंक में खाता खुलवाना हो या नया सिम कार्ड खरीदना हो, हमारा देश वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और डाटा बेस्ड टेक्नोलॉजी बन रहा है । ?(व्यवधान) इसलिए यह विधेयक आज की जरूरत को पूरा करता है । ?(व्यवधान) मैं दो सजेशन्स यहां देना चाहूंगा । सबसे पहला मुद्दा है कि इस बिल में डाटा प्रिंसिपल के लिए राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी या राइट टु. बि. फॉरगॉटन प्रावधान नहीं है, जिससे कई केसेज में इश्यू आ सकता है । ?(व्यवधान) यह प्रावधान 2019 के बिल में था । मैं मंत्री जी से

निवेदन करके जानना चाहता हूं कि इसको हटाने की क्या वजह थी? प्लीज इसे क्लैरिफाई कीजिए । इसी के साथ मेरा दूसरा सजेशन एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर को लेकर है । आपने डाटा लोकलाइजेशन नार्म्स को रिलैक्स कर दिया है । ?(व्यवधान) तब 2019 के बिल में डाटा लोकलाइजेशन का प्रावधान था । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डाटा सेंटर पर हो सकता है? भारत सरकार के पास पॉवर है जिससे वह कंट्री को नोटिफाई कर सकता है । ?(व्यवधान) जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट के लिए लोकलाइजेशन एक अच्छा ऐवन्यू था ।

मैं मंत्री जी से इस पर थोड़ा क्लैरिटी चाहूंगा कि इस प्रावधान को क्यों हटाया गया? मेरी पार्टी शिव सेना इस बिल का समर्थन करती है । धन्यवाद । ?(व्यवधान)

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Thank you Sir. This Bill is the outcome of several years of consultation among the stakeholders. Data protection legislation is very much needed. It is believed that once enacted, the Bill enables individuals to govern their own personal digital data and will drive enterprises who are Data Fiduciaries to process the personal data of individuals lawfully. However, concerns have been raised over certain provisions of the Digital Personal Data Protection Bill, that they can have an adverse impact on freedom of press.

Further, Section 17(4) allows the Government and its instrumentalities to retain personal data for an unlimited period of time. Certain provisions of the Bill also shift the balance in favour of non-disclosure of information, including information sought by journalists in public interest, thereby reducing accountability.

The proposed amendment to Section 8(1) of RTI Act therefore seeks to exempt all personal information. It does away with the exceptions carved out within the Section based on which personal information could have been disclosed. The proposed blanket exemption is problematic since it does not limit the exemption from disclosure to only sensitive personal information.

Given that the Government is the biggest data repository, the law should not give wide discretionary powers to the Executive. The DPDP Bill, 2023, empowers the Government to draft rules and notifications on a vast range of issues. The Union Government can exempt any Government or even private sector entity from the application of provisions of the law by merely issuing a notification, potentially resulting in immense violations of citizens' privacy. Though the Bill talks about 'privacy by design' and ?

transparency?, it fails to implement them in a binding manner. The objective should be to protect the privacy of the people and make sure that they have ultimate control over their data.

Another big issue is violation of the spirit of federation. While the provisions with respect to constitution and operation of Data Protection Board have been significantly expanded in the Bill, it disempowers State Governments in controlling its own data. How can a single Data Protection Board will have jurisdiction and control over data belonging to State Governments? My suggestion is on the lines of RTI, let there be the State Data Protection Boards also. I request the Government to consider these suggestions.

Thank you.

माननीय सभापति: श्री रितेश पाण्डेय जी ।

माननीय सभापति: श्री रितेश पाण्डेय जी, आप दो मिनट में कन्क्लूड कीजिए ।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं । ?(व्यवधान) आपका धन्यवाद और बहन मायावती जी का आभार । ?(व्यवधान) मैं अपनी बात को चम्पारण में पैदा हुए जार्ज ऑर्वेल जी के शब्दों से शुरू करूंगा कि वास्तविकता में शक्ति तब प्राप्त होती है जब शासक वर्ग जीवन की भौतिक अभिवार्ताओं को नियंत्रित करता है, उन्हें जनता को देती है, रोकता है, जैसे कि वे एक विशेषाधिकार हों । ?(व्यवधान) हुजूर, इस बिल में वह विशेषाधिकार सरकार अपने पास रख रही है । कहीं न कहीं हमें यह देखने को मिलता है कि इस बिल के जरिए सरकार ने डाटा को लेकर सभी शक्तियां अपने आप में सीमित कर ली है । ?(व्यवधान)

सरकार पूरे देश का सबसे ज्यादा डेटा का भंडारण करती है इस वजह से भारत सरकार सबसे बड़ी फिड्यूशरी है । यदि हम देखें तो धारा 37 में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के हिसाब से और सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी कंटेंट कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है! इसे शक की निगाह से देखने की जरूरत है । मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि ?एज़ मे बी प्रेस्क्राइब्ड? का हिंदी में अनुवाद है ? जैसे कि डेटा बोर्ड द्वारा, अथारिटी द्वारा और भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।? ?(व्यवधान) मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करूंगा । इसमें ? निर्धारित? करने का प्रावधान 20 पन्ने के बिल में 26 बार आया है । इसका मतलब है कि सारे के सारे कानून बाद में बनाए जाएंगे और उनको पूरी तरह से सरकार बंद दरवाजों के पीछे से बनाएगी ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति: धन्यवाद ।

श्री रितेश पाण्डेय: महोदय, मैं लॉस्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, मैं कन्कलूड कर रहा हूं । ?(व्यवधान) आप मुझे बहुत कम समय दे रहे हैं इसलिए मैं कन्कलूजन रिमार्क यहां रखना चाहता हूं ।?(व्यवधान) डेटा बोर्ड बनाने की अथॉरिटी में पुट्टुस्वामी जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश या उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकार चुनेगी, ये लोग सरकार के अधीनस्थ होंगे । जब कभी सरकार ?(व्यवधान)

माननीय सभापति: धन्यवाद ।

?(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, मुझे अपनी बात कम्पलीट करने दीजिए । मैं बीएसपी की तरफ से बोल रहा हूं, हमारी पार्टी के दस मैम्बर हैं । ?(व्यवधान) मुझे एक मिनट में कम्पलीट करने दीजिए । ?(व्यवधान) जहां बोर्ड के अध्यक्ष और सभी सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, इससे बोर्ड की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिह्न लगता है । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री जयदेव गल्ला जी ।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill. ?(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Jayadevji, kindly conclude within two minutes.

?(Interruptions)

SHRI JAYADEV GALLA: Sure, Sir. Please start my time now onwards. ?(Interruptions)

Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill which has come up after a long journey and undergone five different iterations. One point agreed upon by everybody is that we need a legislation on data protection. ?(Interruptions) Therefore, this Bill is a welcome step. ?(Interruptions) However, I wish to point out a couple of things. ?(Interruptions) Sir, I come to the Data Protection Board. ?(Interruptions) I feel, it is overtly tilted towards the Central Government from Clause 18 to Clause 26. ?(Interruptions) For example, the Bill provides for the following points ? (i) the Government of India will

establish the Board; (ii) it will decide where its headquarters should be; (iii) it will decide its Chairperson and Members; (iv) loosely-tied qualifications to become Chairperson, giving elbowroom to the Government of India to appoint one at its own wisdom; (v) the Chairperson and Members can be re-appointed but the tenure is not mentioned; (vi) the Government will prescribe how the Board has to function and follow procedures, including how to conduct meetings. ?(Interruptions) Sir, you are appointing the Board for just two years and allowing for renewal. ?(Interruptions) My question is this. Is it not too short a term, and with the scope of re-appointment, will it not affect the independent functioning of the Board? ?(Interruptions) Additionally, the Supreme Court observed in 2019 that short-term appointments, along with provision for re-appointment increase the influence and control of the Executive. ?(Interruptions) Sir my final point is related to the amendment to Section 8(1)(j) of the RTI Act. ?(Interruptions) I strongly feel that the proposed amendment makes Government functionaries and the Executive remain opaque in their functioning, and there is a possibility of corruption which this Government wants to curb at every point and at any cost. ?(Interruptions) So, my only request to the hon. Minister is to re-visit this amendment with a broader frame of mind. ?(Interruptions)

Sir, in conclusion, at a macro-level, it is a good Bill with a good beginning. It is an honest attempt made by the Ministry headed by two highly knowledgeable and experienced figures in the field of ICT. ?(Interruptions) So, I support this Bill with some caveats that I have mentioned. ?(Interruptions) I hope, the hon. Minister will sincerely address them. Thank you. ?(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Syed Imtiaz Jaleel. Kindly conclude within two minutes.

?(Interruptions)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Hon. Chairperson Sir, I stand here to strongly oppose the Digital Personal Data Protection Bill, 2023. ?(Interruptions) Why I am saying this is because it raises serious questions, and one of them is the excessive centralisation of powers. ?(Interruptions) It says that the Union Government can exempt any Government or any private sector entity from the application of the provisions of the law by merely issuing a notification, potentially resulting in immense violation of citizens? privacy (Section 17 (2) and Section 17 (3)). ?(Interruptions) On the other hand, no such exemption can be given to the individuals

who are opposed to you, to the Media that is opposed to you, and to the Opposition Parties that are opposing your programmes and policies. ?(Interruptions)

Another point is that the Bill does not bring about the surveillance reform that is urgently needed. Instead, it creates a good framework for the surveillance of citizens. Mr. Minister, your Government in Maharashtra had already done ...□ through the police department. It was done in Maharashtra by the BJP Government. We need to seek clarification on this. ?(Interruptions)

This Bill also raises serious concern over the widening of censorship. Clause 37(1)(b) of the Bill allows the Union Government to censor content, which means if somebody is writing good about you, you will not censor; if somebody is writing against you, then that content is censored. ?(Interruptions). The reason will be `in the interest of the general public?. I strongly oppose this Bill, and I hope the Government reconsiders it.

श्री संजय सेठ (राँची): धन्यवाद सभापति महोदय । आज मैं डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । ?(व्यवधान) यह सबसे बड़ा सुधारीकरण है और इस सुधारीकरण में जो यह अवरोध विपक्षी दल पैदा कर रहे हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि वर्ष 2024 में ये एक चौथाई ही रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया है । ?(व्यवधान)

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल सर्विस में दुनिया में सबसे बड़ा काम किया है । ?(व्यवधान) 90 करोड़ लोग इस डिजिटल दुनिया में सेवा ले रहे हैं और 140 करोड़ की आबादी में गांव, टोला, मोहल्ले के लोग, चाहे सब्जीम बेचने वाला हो, पकौड़े बेचने वाला हो, हर कोई मोबाइल यूज करके सुरक्षा के माध्यम से डेटा इस्तेमाल करता है । ?(व्यवधान) हम कह सकते हैं कि ?मोदी है, तो मुमकिन है ।? हर व्यक्ति की चिंता करने वाला मोदी है और हर व्यक्ति के प्रति चिंतन का परिणाम यह विधेयक है । ?(व्यवधान) जैसे-जैसे समस्या बढ़ी, वैसे-वैसे मोदी जी का समाधान शुरू हुआ । देश में कोई भी समस्या आती है, मोदी जी उसका समाधान ढूंढकर लाते हैं । ?(व्यवधान) डेटा संरक्षण विधेयक उसी समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है । ?(व्यवधान) सभापति जी, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं, तो डेटा हमसे ले लिया जाता है, लेकिन अब इस विधेयक के माध्यम से जब कानून बन जाएगा, तब किस उद्देश्य से डेटा ले रहे हैं, कब तक इस डेटा का उपयोग करेंगे, इसको बताना

होगा । ?(व्यवधान) सबसे बड़ी बात हम यह कह सकते हैं कि कब तक इस डेटा को अपने पास रखेंगे, डेटा को कब समाप्त करेंगे, यह बताना होगा । ?(व्यवधान) डिजिटल होते भारत में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस सरकार के द्वारा यह अमृत देशवासियों को दिया गया है । ?(व्यवधान) नरेंद्र मोदी सरकार और माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र में आम जनता की चिंता करते हुए यह बिल लेकर आए, इस हेतु मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं । ?(व्यवधान) महोदय, सबसे बड़ी बात भाषा की होती है ।

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

?(व्यवधान)

श्री संजय सेठ : सर, झारखंड के लोग तमिलनाडु में काम करते हैं । ?(व्यवधान) अगर वे डेटा देते हैं, तो उनको उसी भाषा में जवाब देना होगा, समझाना होगा और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसी डेटा को लेने के उद्देश्य से समझाना होगा । ?(व्यवधान) डेटा इधर-उधर करना कानूनन जुर्म है । मैं इस हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । ?(व्यवधान) एक और बात मैं कहना चाहता हूं । हम सब जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो बच्चों को साथ ले जाते हैं । बच्चों का डेटा भी उसमें आ जाता है । बच्चा 3 साल का होता है, तो प्ले स्कूल वालों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हमारे प्ले स्कूल में आएं । ?(व्यवधान) मैं कह सकता हूं कि ब्रेन मैपिंग संस्था, जो मैसेज करती है, इसके द्वारा उसमें सबसे बड़ी रोक हो जाएगी । ?(व्यवधान) इस विधेयक के आने के बाद बच्चों का व्यक्तिगत डेटा लेने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी । आज इस सदन में अपना पक्ष रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं ।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी ।

?(व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतनी डिस्टर्बेंस होते हुए भी माननीय सांसदों ने इतने अच्छे सुझाव दिए और इतने अच्छे विषय रखे । ?(व्यवधान) मैं बहुत संक्षेप में सभी विषयों को कवर करूंगा । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, एक विषय आया कि हार्म की डेफिनिशन क्या है? ?(व्यवधान) सैक्शन- 2(b) में लॉस की डेफिनिशन दी हुई है । ?(व्यवधान) उस लॉस से कम्पेन्सेशन की पूर्ति लॉ ऑफ टॉर्ट्स के द्वारा हो सकती है । ?(व्यवधान)

दूसरा विषय बच्चों की उम्र के बारे में आया । इसमें बहुत क्लीयर प्रॉविजन्स रखे गए हैं कि ग्रेडेड वे में उम्र के हिसाब से किन एप्स को बच्चे यूज कर सकते हैं और किन एप्स को नहीं यूज करना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें की गयी है । ?(व्यवधान)

इसमें तीसरा विषय आया है माता-पिता की कंसेंट लेना और उनकी परमिशन लेना ।?(व्यवधान) आज हमारे पास बहुत सारे डिजिटल माध्यम आ चुके हैं, जैसे डिजी लॉकर, उनके जरिए भी माता-पिता की परमिशन ली जा सकती है । ?(व्यवधान)

चौथा विषय ?right to be forgotten? आया है । यह सेक्शन-12 में ?right of erasure? के नाम से है । Right to be forgotten और right to be erased करीब-करीब समान हैं । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, साथ में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंडिपेंडेंस का भी विषय आया है तो इंडिपेंडेंस आती है कानून से । उसमें इंडिपेंडेंस यह आती है कि जो मेम्बर्स हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडिशन्स को कोई चेंज न कर पाए । इन सब चीजों की व्यवस्था इस बिल में बहुत क्लियरली की गई है । बिल का सेक्शन-28 क्लियरली कहता है कि ?The Board will be an independent body.? कुछ माननीय सदस्य रूल्स के बारे में विषय लेकर आए हैं कि कितना प्रेस्क्रिप्शन, prescription as may be prescribed रखा हुआ है? ?(व्यवधान) मैं माननीय रितेश जी को कहना चाहूंगा कि रूल मेकिंग पावर एब्सॉल्यूट पावर नहीं होता है । अगर संसद ने कानून की कोई बाउंड्री की है तो रूल उसी कानून की बाउंड्री के अंदर ही बनेंगे और रूल को पार्लियामेंट में भी पेश करना पड़ता है । ?(व्यवधान) यह एब्सॉल्यूट पावर नहीं है । यह व्यवस्था 70 सालों से बहुत अच्छे से टाइम टेस्टेड व्यवस्था है ।

माननीय सभापति महोदय, डेटा लोकलाइजेशन के बारे में भी बात की गई है । सेक्शन-16 में बहुत क्लियर प्रोविजन्स हैं कि जो सेक्टर अपने सेक्टोरल रिक्वॉयरमेंट के हिसाब से रेगुलेशन्स बनाना चाहे, उसमें सेक्टोरल रेगुलेशन्स बनाए जा सकते हैं । ?(व्यवधान) यह बिल एक होरिजेंटल व्यवस्था है, यानी विभिन्न सेक्टर के ऊपर इसका प्रभाव लागू होता है । हर सेक्टर की अपनी रिक्वॉयरमेंट होती है । फाइनेंशियल सर्विसेज की अपनी रिक्वॉयरमेंट है । उन सब रिक्वॉयरमेंट्स को अपने-अपने सेक्टर के हिसाब से रेगुलेशन्स लाने का अधिकार रहेगा ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आरटीआई के बारे में मैंने ओपनिंग स्पीच में बोला था । इसके साथ-साथ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जिसमें कहा गया कि बोर्ड में कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है । बोर्ड के ऊपर अपीलेट बॉडी टीडीसैट है । ?

(व्यवधान) टॉडॉसेट का चेयरमैन एक जुडॉशेयल मेम्बर होता है और टॉडॉसेट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है । ?(व्यवधान) हरेक चीज के लिए एक क्लियरली डिफाइन व्यवस्था है । उस व्यवस्था में एक जुडिशियल पद्धति के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रीवेंस का रिड्रेसल कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान कर सकता है ।?(व्यवधान) कुछ माननीय सदस्यों ने केवल रेटरिक के माध्यम से बातें कही हैं । अगर उनके पास कोई और भी विषय रहेगा तो वे हमारे पास कभी भी आ सकते हैं और कभी भी इस पर डिस्कशन कर सकते हैं ।? (व्यवधान) I rise to move an amendment to the Digital Personal Data Protection Bill, 2023. The amendment is, on page 14, line 30 ? ?for section 36, kindly, substitute section 37.?

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि डिजिटल वैयक्तिक डाटा का, ऐसी रीति में प्रकमण करने, जो व्यमष्टिकों के उनके वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करने के अधिकार और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण, दोनों की आवश्यिकता को मान्यकता प्रदान करता है और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

?(व्यवधान)

Clause 2 Definitions

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय, संशोधन संख्या 2 से 8.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन, संशोधन संख्या 17.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: एडवोकेट ए.एम. आरिफ, संशोधन संख्या 31 से 35.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

?(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 3, line 19, --

after ?data?

insert ?without obtaining consent in writing with signature?. (39)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

?(व्यवधान)

Clause 3 Application of Act

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय, संशोधन संख्या 9.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन, संशोधन संख्या 18.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आपको बाद में मौका मिलेगा ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

?(व्यवधान)

Clause 4 Grounds for processing personal data

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन ? संशोधन संख्या 19.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 40 और 41 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Sir, I beg to move:

Page 4, line 17,-

after ?consent?

insert ?in writing with signature?. (40)

Page 4, line 18,-

after ?legitimate uses?

insert ?only with prior notice to the Data Principal and with written consent duly signed by the Data Principal?. (41)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 और 41 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

?(व्यवधान)

Clause 5 Notice

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन ? संशोधन संख्या 20.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Sir, I beg to move:

Page 5, line 1,-

after ?data?

insert ?only for the purpose for which consent has been given?. (42)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

?(व्यवधान)

Clause 6 Consent

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 43 से 45 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Sir, I beg to move:

Page 5, line 23,-

for ?invalid?

substitute ?null and void?. (43)

Page 5, line 33,-

omit ?, where applicable,? (44)

Page 5, line 49,-

for ?a reasonable time?

substitute ?five hours?. (45)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 से 45 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

?(व्यवधान)

Clause 7 Certain legitimate uses

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन-संशोधन संख्या 21.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री बैन्नी बेहनन-संशोधन संख्या 22.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 46 से 56 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Sir, I beg to move:

Page 6, line 32,-

omit ?and any of its instrumentalities? (46)

Page 6, line 36,-

omit ?or any of its instrumentalities? (47)

Page 6, line 40,-

omit ?or any of its instrumentalities? (48)

Page 7, line 1,-

omit ?or any of its instrumentalities? (49)

Page 7, line 3,-

after ?State?

insert ?with prior permission of the three Member Committee consisting of a Retired Judge of Supreme Court acting as the Chairman and two retired High Court Judges as the Members.?. (50)

Page 7, line 5,-

omit ?or any of its instrumentalities? (51)

Page 7, line 7,-

after ?force?

insert ?with prior permission of the three Member Committee consisting of a Retired Judge of Supreme Court acting as the Chairman and two retired High Court Judges as the Members.?. (52)

Page 7, line 12,-

omit ?or any other individual? (53)

Page 7, line 15,-

after ?health?

insert ?with prior permission of the three Member Committee consisting of a Retired Judge of Supreme Court acting as the Chairman and two retired High Court Judges as the Members.?. (54)

Page 7, line 17,-

omit ?or any break down of public order?

(55)

Page 7, line 24,-

after ?employee?

insert ?with prior permission of the three Member Committee consisting of a Retired Judge of Supreme Court acting as the Chairman and two retired High Court Judges as the Members.?. (56)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 से 56 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

?(व्यवधान)

Clause 9 Processing of personal data of children

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन ? संशोधन संख्या 23.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री बैन्नी बेहनन ? संशोधन संख्या 24.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

?(व्यवधान)

Clause 10 Additional obligation of significant Data Fiduciary

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन ? संशोधन संख्या 25.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

?(व्यवधान)

Clause 12 Right to correction and

erasure of personal data

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment.

?(Interruptions)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 12 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

?(व्यवधान)

Clause 13 Right of grievance redressal

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या-11,

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 13 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 14 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

¬¬¬¬¬¬Clause16 Processing of personal data outside India

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या - 12

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 16 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18 Establishment of Board

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या - 13

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 18 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 19 Composition and qualification for appointment of Chairperson

and Members

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या ? 14

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या - 26

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री बैन्नी बेहनन - संशोधन संख्या - 27

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 19 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 20 Salary, allowances payable to

and term of office

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या ? 15

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: एडवोकेट ए.एम. आरिफ - संशोधन संख्या - 36

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 20 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 21 Disqualification for appointment and continuation as chairperson and Members of Board

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या - 28 और 29

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 21 विधेयक का अंग बनें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 22 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 27 Powers and functions of Board

Amendment made:

Page 14, line 30,-

for ?section 36?

substitute ?section 37?. (1)

(Shri Ashwini Vaishnaw)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 27, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 27, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 28 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 33 Penalities

माननीय सभापति: एडवोकेट डीन कुरियाकोस - संशोधन संख्या - 16

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 33 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 34 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 44 Amendment to certain Acts

माननीय सभापति: श्री बैन्नी बेहनन - संशोधन संख्या ? 30

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 44 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

Clause 1 Short title and commencement

माननीय सभापति: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 और 38 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 1, line 7,-

omit ?in the Official Gazette?. (37)

Page 1, omit lines 8 and 9. (38)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 और 38 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 1 विधेयक का अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Chairman, Sir, I rise to move:

?That the Bill, as amended, be passed.?

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री भर्तृहरि महताब जी ।

?(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir.

It is said: ?New dawn for data protection?. In Oriya, a line is there: ? Nahin mamun tharu kana mamun bhala?. It means: ?Rather than having no uncle, it is better to have a one-eyed uncle?. ?(Interruptions)

I have two queries to ask. This Bill is not about data protection but about data processed. The question that I would like to ask is why do we not build an independent regulator. What provision is being made for independent regulator? The regulator that you have is not independent. How are you going to build an independent regulator? ?(Interruptions)

The second point is there is need for clarity and checks on cross-border data transfer restrictions. That has not been discussed today. Neither the Bill is very clear about it. I would like to understand about it from the Minister. ?(Interruptions)

श्री अश्वनी वैष्णव: सभापति महोदय, ये सारे विषय पहले लिए जा चुके हैं ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है । अगर आप बात करना चाहते हैं तो अपने मैम्बर्स से कहिए कि वे अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाएं । सबसे पहले वे अपना स्थान ग्रहण करें ।

?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं आपसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमें अपनी बात को रखने दिया जाए और वह भी शांति से रखने दिया जाए ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप नियम बताइए?

?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपकी तरफ से कोइ पाबंदी नहीं लगाइ जाए, यह मेरी दरख्वास्त है ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप नियम बताइए ।

?(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The Point of Order is under Rule 353. It is clearly stated that no allegation of a defamatory or incriminatory in nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply. मेरा सवाल यह है कि हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हैं । राहुल गांधी जी सदन में बैठे थे ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: हमने आपकी बात सुनी है ।

?(व्यवधान)

15.00 hrs

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, राहुल गांधी जी के खिलाफ?(व्यवधान)

माननीय सभापति: हमने आपकी बात सुनी ।

?(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मुझे बोलने नहीं देते, हम क्या करें,?(व्यवधान) राहुल गांधी जी के खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ओछे तरीके से घटिया टिप्पणी की गई है और वह भी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से?(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको जवाब देता हूं ।

?(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment.

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आज बिल पारित हो रहा है, तो वह प्रस्तुत है ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 17. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023.

माननीय मंत्री जी ।

?(व्यवधान)

15.01 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Prof. Sougata Ray and some other hon. Members left the House